

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 366] मई बिस्वी, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/साद्र 16, 1901
No. 366] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में सिद्ध पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
पढ़ा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

का. शा. 520(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./79.—भारत सरकार के
भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. शा. 603(अ)/18क/आई.
डी. आर. ए./72, तारीख 18 सितम्बर, 1972 (जिसे इसके पश्चात् उक्त
आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स डॉण्डयन रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता
नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन 17 सितम्बर, 1977 तक की अवधि के
लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, दिया गया था।

और भारत सरकार के आदेश सं. का. शा. 628(अ)/18क/आई. डी. आर.
ए./77, तारीख 26 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को तारीख

17 सितम्बर, 1979 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बनाया गया था ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 17 सितम्बर, 1981 तक की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

ब. राय, संयुक्त सचिव

[फा. सं. 25/5/72-सौ.यू.सी.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 520(E)/18A/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, have been taken over for a period upto and inclusive of the 17th September, 1977 ;

And, whereas, by the Order of the Government of India No. S.O. 638(E)/18A/IDRA/77, dated the 26th August, 1977, the said Order was made effective for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1979 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period of two years ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by proviso of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1981.

[F. No. 25(5)/72-CUC]

B. ROY, Jt. Secy.

